करूणा शर्मा, जयपुर (परिवर्तित नाम) ने आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अवगत कराया कि गर्भवस्था दौरान कम्पनी से निकाल देने व बकाया वेतन नहीं दिया जा रहा है। जिस पर आयोग ने कम्पनी अधिकारियों को आयोग में बुलाकर समझाइश की गई तो दोनों पक्षों ने एक सहमति पत्र इस आश्य का पेश किया की वे परस्पर मिलकर उनके मध्य विवाद का निपटारा कर लेगें। एक माह बाद प्रार्थीया ने ई-मेल द्वारा आयोग को अवगत कराया कि उसे अब किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है तथा उसे उसका भुगतान मिल गया है।